

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)

टेलीफैक्स: 0141-2222403

ईमेल: dibrajasthan@gmail.com

वेबसाइट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- प.1(अ) ल. 1/समे/डब/16/4948-5145 दिनांक: 21/9/2016

आयुक्त/अधिसापी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:- मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में नियुक्त कार्मिकों को तीन वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर परीक्षा में शामिल होने की छूट देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिक को निर्धारित तीन वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसे कुछ कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये जाने से कुछ पालिकाओं से टंकण परीक्षा हेतु 1 वर्ष की छूट/शिथिलता देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रकरणों के संबंध में लेख है कि जिन कार्मिकों ने निर्धारित 3 वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एक वर्ष की छूट/शिथिलता प्रदान की जाती है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:- प.1(अ) ल. 1/समे/डब/16/4948-5145

दिनांक:- 21/9/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

(प्रीती माथुर)

उप निदेशक (प्रशासन)